संख्या-53/2021/895/22-2-2021-17(390)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5182/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02.03.2021) दिनांक-03.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम हरसौली, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है, वादी नेपाल के पुत्र विशाल की दिनांक 12.06.2002 को अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ बिजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र तथा रामवीर राणा द्वारा अपहरण किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपहृत विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ की मांग की गयी। उक्त धनराशि को पुलिस द्वारा छापामारी के दौरान थाना-कविनगर के क्षेत्र में स्थित मकान सं0 के0एल0-153 से अपहृत विशाल तथा अभियुक्त रामवीर राणा को मय फिरौती की धनराशि रू0-31 लाख 70 हजार के साथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय शेष तीनों अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ विरेन्द्र उक्त मकान से भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033, 1034/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तक 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.08.2020 में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज में भय व्याप्त होगा तथा बदला लेने की सम्भावना होगी उक्त के दृष्टिगत बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर सम्यक् विचार किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की आयु लगभग 59 वर्ष है। बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट में रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्ष्ति नहीं होना पाया गया। बंदी का जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बंदी के 02 सहअभियुक्तों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2019 के अनुपालन में रिहा किये जाने, 01 सहअभियुक्त के फार्म-ए के आधार पर रिहा किये जाने के साथ अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति की** गयी है।

4- प्रश्नगत रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-338/2020 अशोक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में सुनवाई करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"Learned counsel for the petitioner submits that petitioner has already been in custody for more than 16 years without remission and more than 22 years with remission. Reply has been filed by the State wherein it has been stated that application for remission of sentence is under consideration.

In view of the above, we direct the competent authority to consider the application for remission and take appropriate decision within a period of **three weeks from** today. The decision taken by the competent authority may be placed on the record by the State.

List in the second week of April, 2021."

5- प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पास-पडोस अथवा समाज में भय व्याप्त होगा। जिला स्तरीय समिति के द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

6- प्रश्नगत प्रकरण रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-338/2020 अशोक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2021 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक (बन्दी संख्या-12641) पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर-5 में उल्लिखित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-53/2021/895(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- नोडल अधिकारीअधीक्षक/जिला कारागार गाजियाबाद।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-53/2021/895/22-2-2021-17(390)/2020

दिनांक 20 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम हरसौली, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। वादी नेपाल के पुत्र विशाल की दिनांक 12.06.2002 को अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ बिजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र तथा रामवीर राणा द्वारा अपहरण किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपहृत विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ की मांग की गयी। उक्त धनराशि को पुलिस द्वारा छापामारी के दौरान थाना-कविनगर के क्षेत्र में स्थित मकान सं0 के0एल0-153 से अपहृत विशाल तथा अभियुक्त रामवीर राणा को मय फिरौती की धनराशि रू0-31 लाख 70 हजार के साथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय शेष तीनों अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ विरेन्द्र उक्त मकान से भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033, 1034/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तक 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.08.2020 में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज में भय व्याप्त होगा तथा बदला लेने की सम्भावना होगी उक्त के दृष्टिगत बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर सम्यक् विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की आयु लगभग 59 वर्ष है। बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट में रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। बंदी का जेल आचरण सन्तोषजन होने, बंदी के 02 सहअभियुक्तों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2019 के अनुपालन में रिहा किये जाने, 01 सहअभियुक्त के फार्म-ए के आधार पर रिहा किये जाने के साथ अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति की** गयी है। चूँकि जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पास-पडोस अथवा समाज में भय व्याप्त होगा। जिला स्तरीय समिति के द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।